न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 34/2021

प्रार्थी

1. श्री प्रभुराम पुत्र श्री मोटाराम जाति रेबारी निवासी पिपेला तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री चौपाराम पुत्र श्री मालाराम जाति रेबारी निवासी पिपेला तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्री गणेशराम पुत्र श्री दानाराम जाति रेबारी निवासी पिपेला तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्रीमती कवली पत्नि श्री पुनाराम जाति रेबारी निवासी पिपेला तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. ग्राम पंचायत रोहिडा जरिए सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्रीमती संतोष पत्नि श्री अशोक जाति घांची निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. श्रीमती इन्दिरा पत्नि श्री सुरेश जाति घांची निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
5. श्रीमती दुर्गा पत्नि श्री प्रवीण जाति घांची निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
6. विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री अशोक शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री नरपतसिंह देवडा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।
3. श्री भैरूपालसिंह बालावत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या तीन से पांच की ओर से।
4. श्री नटवरलाल जीनगर, सहायक विकास अधिकारी सिरोही, अप्रार्थी संख्या छः की ओर।

निर्णय दिनांक 31.07.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी पट्टा संख्या 004474 दिनांक 20.12.2004 क्षेत्रफल 6900 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा एवं अप्रार्थी संख्या तीन से पांच की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूपालसिंह बालावत द्वारा जरिए वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

किया, जो शामिल मिसल किया गया। उक्त पट्टा संख्या 004474 दिनांक 20.12.2004 क्षेत्रफल 6900 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा भी निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अतः दोनों प्रार्थना पत्र एक ही पट्टे से सम्बन्धित होने से बाद में प्रस्तुत किए गए विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा के निगरानी प्रार्थना पत्र को इसी प्रकरण के साथ शामिल मिसल कर अप्रार्थी संख्या छः के रूप में पक्षकार बनाया गया। प्रकरण में दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को नियमो के विपरित पट्टा संख्या 004474 दिनांक 20.12.2004 क्षेत्रफल 6900 वर्गफुट जारी किया गया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक के नाम से अप्रार्थी संख्या दो ने गोचर भूमि में पट्टा बनाकर दिया है, जबकि गोचर भूमि पडत पडी हुई थी। यह कि उक्त गोचर भूमि का पट्टा सन् 2004 में तत्कालीन सरपंच ने मेल मिलाप कर गोचर भूमि में 6900 वर्गफीट भूमि का पट्टा बना कर दिया है, जिसका ग्राम पंचायत को कोई हक अधिकार नहीं है। यह कि उक्त भूमि खसरा संख्या 433 रकबा 4.17 बीघा भूमि को दिनांक 22.12.2009 के श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सिरोही के आदेश से आबादी की गई थी, जबकि उससे पूर्व ही सन् 2004 में ग्राम पंचायत को पट्टा किस्म गोचर में देने का अधिकार नहीं था। यह कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के तहत बने हुए मकान का पुराना कब्जा होने पर ही पट्टा दिया जा सकता था, जबकि मौके पर आज भी पडत भूमि पडी हुई है तथा कांटों की बाड कर 6900 वर्गफीट की भूमि पर अवैध रूप से नियमों की विरूद्ध जाकर तत्कालीन सरपंच ने भ्रष्टाचार कर उक्त पट्टा जारी किया है, जो कानूनन खारिज किए जाने योग्य है। उक्त भूमि सरूपगंज रोहिडा मार्ग पर आई हुई है, जिससे अप्रार्थी संख्या एक व दो ने मेल मिलाप कर राज्य सरकार के राजस्व का भी नुकसान किया है और उक्त भूमि को मात्र 200/– रूपए में बेचान कर पट्टा बनाया है, जो गलत व निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक ने उक्त भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या तीन, चार व पांच को कर दिया है, जो भी अवैध है। यह कि वर्तमान में उक्त भूमि पर निर्माण हेतु निर्माण स्वीकृति की मांग करने पर प्रार्थीगण को इसकी जानकारी हुई, जिससे प्रार्थीगण बिना किसी देरिना यह जनहित में निगरानी पेश की है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी विवादित पट्टा संख्या 004474 दिनांक 20.12.2004 क्षेत्रफल 6900 वर्गफुट को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक के लायक अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानीं मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या एक को नियम 157(1) के तहत पुराने मकान का पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियमो के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है । अप्रार्थी संख्या–एक द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है यह है कि पट्टा जारी करने मे राजस्थान पंचायती राज विभाग, राज.जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना की गई है । अनियमितता करने के कथन सर्वथा गलत है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक की जानकारी अनुसार उक्त भूमि आबादी भूमि थी तथा उक्त क्षेत्र में लोगों के रहवासीय मकान भी बने हुए थे और लोग निवास करते आ रहे है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक का उक्त सम्पत्ति पर पुराने समय से कब्जा रहवास होने से ग्राम पंचायत रोहिडा ने प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 20.12.2014 के अनुसरण में पट्टा संख्या 004474 दिनांक 26.01.2005 को राजस्थान पंचायतीराज नियम के अन्तर्गत जारी किया तथा उक्त पट्टा का पुनः नवीनीकरण ग्राम पंचायत रोहिडा के प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

09.11.2020 के निर्णयानुसार किया जाकर नवीनीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक/पंचा/2020–21/658 दिनांक 09.12.2020 अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में जारी कर पट्टे का पंजीयन नियमानुसार उपपंजीयक भावरी से करवाया हुआ है। प्रार्थी द्वारा जिस पट्टे को चुनौती दी है वह रजिस्टर्ड पट्टा है और रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। अतः प्रार्थीगण जब तक उक्त पट्टे के सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवाते है तब तक प्रार्थीगण की यह निगरानी प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक पिछले 35 वर्षों से उक्त सम्पत्ति पर काबिज व निवासरत है तथा पुराने कब्जे व रहवासीय मकान के आधार पर ही नियमानुसार पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी संख्या एक उक्त भाग को अपने पशु बांधने, लकडियां रखने व गोबर डालने आदि के उपयोग व उपभोग में लेते है और सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ कांटों की बाड की हुई है। यह कि उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या एक के मालिकी स्वामित्व कब्जे की पट्टेशुदा भूमि होने व अप्रार्थी संख्या एक के उक्त भूमि को विक्रय हस्तान्तरण करने का पूर्ण हक अधिकार होने से अप्रार्थी संख्या एक की आर्थिक स्थिति खराब होने व रूपयों की आवश्यकता होने से अप्रार्थी संख्या एक ने अपने पट्टेशुदा भूमि को अप्रार्थी संख्या तीन व पांच को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के विक्रय किया है, जबकि प्रार्थीगण द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को चुनौती नहीं दी गई है, जिससे यह प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना फरमावे।

अप्रार्थी संख्या तीन से पांच के लायक अधिवक्ता श्री भैरूपालसिंह बालावत द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानीं मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक पिछले 35 वर्षों से उक्त सम्पत्ति पर काबिज व निवासरत थी तथा पुराने कब्जे व रहवासी मकान के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या एक निरन्तर व निर्बाध रूप से उक्त सम्पत्ति क उपयोग व उपभोग करती आ रही है तथा सम्पत्ति के चारों तरफ कांटों की बाड बनी हुई है। ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा दिनांक 09.12.2020 को नियमानुसार पट्टे का नवीनीकरण प्रमाण पत्र भी जारी हुआ है। अप्रार्थी संख्या तीन व पांच द्वारा स्वामित्व संबंधी दस्तावेज देखकर व उन पर विश्वास कर उक्त सम्पत्ति अप्रार्थी संख्या एक को से पूर्ण प्रतिफल अदा कर जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की है, जिसका विक्रय विलेख उपपंजीयक कार्यालय भावरी द्वारा नियमानुसार पंजीबद्ध किया गया था। यह कि अप्रार्थी संख्या तीन व पांच सद्भावी क्रेता है और उक्त सम्पत्ति के पट्टे को निरस्त किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या तीन व पांच के साथ घोर अन्याय होगा। विक्रय के समय विक्रय विलेख पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को कम करने हेतु उक्त सम्पत्ति पर बने पुराने जर्जर मकानों को गिराया गया है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या तीन व पांच के हक में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को चुनौती नहीं दी है और जब तक अप्रार्थी संख्या तीन व पांच के हक में पंजीबद्ध विक्रय विलेख को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता है तब तक प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थन पत्र विधि में परिपोषणीय नहीं है और खारिज किए जाने काबिल है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक के नाम पट्टे जारी होने की जानकारी प्रार्थीगण को प्रारम्भ से ही थी तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक के परिवार के बीच विवाद होने से प्रार्थीगण हैरान परेशान करने हेतु यह निगरानी करीब 16–17 वर्ष बाद म्याद बाहर पेश की है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना फरमावे।

अप्रार्थी संख्या छः की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरोही ने दौराने बहस मेरा ध्यान अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को नियमो के विपरित पट्टा जारी किया गया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक के

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 उपनियम (1) के अन्तर्गत पट्टे आबादी भूमि में ही जारी करने का प्रावधान है। चूंकि उक्त भूमि ग्राम पंचायत रोहिडा को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक/पं.12(3)(31)राज/2009/4816–21 दिनांक 22.12.2009 को उक्त भूमि जो खसरा नम्बर 433 में से रकबा 2.00 बीघा किस्म गोचर भूमि की किस्म खारिज कर ग्राम पिपेला के आबादी विस्तार हेतु आवंटन की गई थी, परन्तु अप्रार्थी संख्या दो द्वारा उक्त भूमि के पट्टे दिनांक 20.12.2004 को जारी किया गया था, तत्समय उक्त भूमि गोचर भूमि थी। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 उपनियम (1) हेतु नियम 146 के अन्तर्गत भूमि का मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचों की मौका कमेटी का गठन कर मौका निरीक्षण में प्रार्थी का पुराना कच्चा आवास बताया गया है एवं मिसल में पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 के अन्तर्गत यह अवगत नहीं करवाया गया है कि यह स्थल अप्रार्थी संख्या एक का पुराना आवास है एवं उस भूमि पर इस व्यक्ति का किस प्रकार का कब्जा एवं अधिकार है, जिनके स्वामित्व में स्पष्ट नहीं किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा अपने पद की अधिकारिता से परे जाकर पट्टे जारी किए गए है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 154 की अवहेलना कर नियम विरूद्ध विक्रय विलेख जारी किया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो ने अप्रार्थी संख्या एक को लाभ देने की नियत से पंचायतीराज नियमों की अनदेखी करते हुए दूषित कार्यवाही कर दस्तावेज तैयार कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाकर उक्त विक्रय विलेख जारी किया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी विवादित पट्टा संख्या 004474 दिनांक 20.12.2004 क्षेत्रफल 6900 वर्गफुट को निरस्त किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक एवं तीन से छः की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या एक को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, भावरी द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 004474 दिनांक 20.12.2004 क्षेत्रफल 6900 वर्गफुट जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार–

157.–पुराने गृहों का विनियमितिकरण– जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा–

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफलः

क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में = 100 रूपये संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्त्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा उक्त विवादित पट्टा अप्रार्थी संख्या एक के हक में राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने का प्रावधान है, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा उक्त विवादित पट्टे को जारी करते समय सम्बन्धित भूमि की किस्म गोचर थी, जिसे जिला कलक्टर सिरोही के आदेश क्रमांक/पं.12(3)(31)राज/2009/4816–21 दिनांक 22.12.2009 के द्वारा उक्त भूमि जो खसरा नम्बर 433 में से रकबा 2.00 बीघा किस्म गोचर भूमि की किस्म खारिज कर ग्राम पिपेला के आबादी विस्तार हेतु आवंटन की गई थी। अतः इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में गोचर भूमि में से पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी संख्या एक को उक्त विवादित पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है, जबकि राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा जरिए पत्र क्रमांक / एफ.130( ) परावि/ विधि/ पं.आ.अभि./ मा.दर्शन/ जयपुर/ 2017/357 जयपुर दिनांक 03.05.2017 के द्वारा आबादी भूमि में पट्टा आवंटन के सम्बन्ध में यह मार्गदर्शन प्रदान किया है कि जिन ग्राम पंचायतों में आबादी भूमि का आवंटन पंचायतीराज, नियम 1996 के पश्चात हुआ है तो भूमि पर बने पुश्तैनी आवासों के पट्टे दिया जाना नियम 157(1), नियम 157(2) के तहत नियमानुसार अनुमत नहीं है। चूंकि ग्राम पंचायत रोहिडा अप्रार्थी संख्या एक के हक में राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी करने हेतु अनुमत ही नहीं थी। अतः इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा अपने अधिकारिता से परे को अप्रार्थी संख्या एक के हक में उक्त विवादित पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता का कथन है कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक का पुराना कब्जा है, जिस पर वह पशु बांधने, लकडियां रखने व गोबर डालने इत्यादि के उपयोग व उपभोग में लेता है, परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह साबित करता हो कि उक्त विवादित पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक का पुराना कब्जा हो एवं अप्रार्थी संख्या छः की ओर से प्रस्तुत मौका फर्द, जिसे सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडा एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा तैयार किया गया है, उक्त मौका फर्द में भी विवादित पट्टा संख्या 004474 की भूमि खाली पडी होना तथा मौके पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नहीं होना बताया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत 200/– रूपए शुल्क लेकर अधिकतम 300 वर्गगज तक का ही पट्टा जारी किया जा सकता है, परन्तु ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में 6900 वर्गफीट क्षेत्रफल का पट्टा जारी किया है, राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। अप्रार्थी संख्या एक को उक्त पट्टा संख्या 004474 ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 20.12.2004 के अनुसरण में जारी किया गया है, परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं ग्राम पंचायत रोहिडा के बैठक रजिस्टर का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 20.12.2004 अप्रार्थी संख्या एक के नाम से पारित नहीं किया जाकर श्री सोना पुत्र श्री जीवा के नाम से जारी किया गया है एवं पट्टे पर अंकित रसीद संख्या 64/29 दिनांक 26.01.2005 का भी पंचायत की रोकड बही में इन्द्राज नहीं है। अतः इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में प्रस्ताव पारित किए बिना ही पट्टा संख्या 004474 जारी किया गया है एवं न ही ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा शुल्क की राशि 200/– रूपए पंचायत कोष में भी जमा करवाई गई है। अतः प्रस्ताव के अभाव में जारी आवंटन एवं विक्रय विलेख विधि विरूद्ध प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में उक्त विवादित पट्टा दिनांक 26.01.2005 को निष्पादित किया गया है। चूंकि दिनांक 26.01.2005 को राष्ट्रीय पर्व

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

गणतंत्र दिवस था, जबकि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा दिनांक 26.01.2005 को पट्टा निष्पादित किया जाना एवं उसी दिन दिनांक 26.01.2005 को ही पट्टा शुल्क वसूल किया गया है, जो पट्टे जारी करने की कार्यवाही पर संदेह पैदा करता है एवं न ही इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या एक व दो ने किसी भी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी पट्टा संख्या 004474 दिनांक 20.12.2004 क्षेत्रफल 6900 वर्गफुट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही